

तारीख
हुकम

उत्पान - केलाचवनाम मजोरी नगर
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम
अदालत
हुकम की
तारीख

28-5-21

आज पीपुल्स अदिकार मजोरी नगर
कार्य में वदस्त/अदालत पर होन के
पत आदेश की फालना में पत्रावली
दिनांक 11-6-21 को पेश रहे।

11-6-21

आज पीपुल्स अदिकार मजोरी नगर
कार्य में वदस्त/अदालत पर
पत आदेश की फालना में पत्रावली
दिनांक 25-6-21 को पेश रहे।

25-6-21

पत्रावली पेस हुई पत्रावली का कवलोमन किया गया
पत्रावली में रेस्पोंडेंट नं. 8 की तलबी हेतु जारी नोटिस
कदम तारीख प्राप्त हुआ है जिस पर कंफिट रिपोर्ट के
अनुसार रेस्पोंडेंट नं. 8 रामजीलाल पुत्र तुंग्या फौज हो चुका
है। उक्त रिपोर्ट 21-7-21 को कंफिट की गई है किन्तु
कपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेंट नं. 8 के कायम मुकाम की
तुलना पेस नहीं की गई है जबकि किसी मुकदमे में
प्रतिवादी की मृत्यु होने पर आदेश 22 नियम 5 CPC
के तहत आवेदन दाखिल करने की निष्पत्ति समझनी
प्रतिवादी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन निष्पत्ति है
ऐसी स्थिति में कपीलान्त अवेर होने के कारण खारिज
किया जाना उचित समझते हैं

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामांतरण फॉ. 50
दिनांक 25-5-2021 गणम नहरणा तहसील सिहराम
के विरुद्ध कपीलान्त केलाचवना पुत्र रामस्य इतरक पुत्र
कोश्या जगदीश वरुण निवासी तहसील सिहराम
द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कपीलान्त आवेदन से
खारिज की जाती है निवेदन की प्रति साक्षर अधीनस्थ
शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बांध प्रति
कपीलान्त खागार की जाके निवेदन आज दिनांक
25-6-2021 में मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया



(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर
दोसा (राज.)